संख्या–1380/35(150)/ XXVII(1)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून, दिनांकः 29 नवम्बर, 2016**

विषयः– बजटीय एवं राजकोषीय सुधार के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के क्रम में आगामी आय–व्ययक 2017–18 में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष के विभाजन को समाप्त करते हुए उत्तराखण्ड राज्य सरकार के आय–व्ययक (बजट) साहित्य से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों आदि में भी आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष को भारत सरकार की भांति समाप्त किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 का आय–व्ययक (बजट) का प्रस्ताव **ऑन लाईन** राजस्व व पूंजी तथा भारित व मतदेय पक्ष में भरकर प्रेषित किया जाय।

इसके दृष्टिगत बजट साहित्य के अतिरिक्त राज्य सरकार के समस्त वित्तीय अभिलेखों यथा–बजट मेन्युअल उत्तराखण्ड (प्रथम संस्करण) 2012, बजट का सार, वित्तीय स्थिति की समीक्षा, मानक मदवार विवरण, महालेखाकार के परामर्शानुसार समेकित निधि की प्राप्तियों आदि के विवरण में भी यथाशीघ्र उक्तानुसार संशोधन कर लिया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– /XXVII(1)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सचूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजर, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं।
3. समस्त विभागाध्यक्ष उत्तरखण्ड ।
4. बजट अधिकारी उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी उत्तराखण्ड।
7. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(E)-Finance-01- Vit - 01 Letter-.docx